उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

528945

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रू0 23,82,046/–
बाजारी मूल्य – रू0 5,13,987/–
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क– रू0 2,30,000/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. तहसील – बिजनौर
3. ग्राम – देवमल
4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 74 रकबा

Asal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

[illegible]

बै० 2 [illegible]/-

[illegible] फी० [illegible]

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] द्विवेदी [illegible]
पेशा [illegible] निवासी [illegible]
ने यह लेखपत्र कार्यालय उप निबन्धक, लखनऊ
में आज दिनांक [illegible] समय [illegible]
मय मुकन्ना नकल फीस एवं शुल्क चिह्न
सहित प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक-प्रथम
लखनऊ

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
व प्राप्त धन [illegible]
[illegible] द्विवेदी
[illegible] स्वीकार किया

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

578546

0.257 हैक्टेयर का पूर्ण भाग, खसरा संख्या 4 रकबा 0.367 हे0, खसरा संख्या 10 रकबा 0.025 हे0 कुल रकबा 0.392 हे0 का 1/6 भाग अर्थात रकबा 0.0653 हे0 इस प्रकार कुल विक्रित रकबा 0.3103 हे0 स्थित ग्राम [illegible]

साक्षियों के निशान

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

525947

-1-

परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.3163 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — नहीं।

10. बोरिंग / कुआँ अन्य — कुछ भी नहीं है।

[illegible]

25000 25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.3160 हेक्टेयर

7. सम्पत्ति की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — नहीं।

10. बोरिंग/ कुआं आदि — कुछ भी नहीं है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

चौहद्दी खसरा नं0 74

उत्तर	:	चकरोड व खसरा नं0–71
दक्षिण	:	खसरा नं0–73
पूरब	:	चकरोड
पश्चिम	:	खसरा नं0–72

चौहद्दी खसरा नं0 4

उत्तर	:	खसरा नं0–2
दक्षिण	:	खसरा नं0–8
पूरब	:	खसरा नं0–3, 6
पश्चिम	:	ग्राम पीना मुजफ्फरनगर धुमावल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>चौहद्दी खसरा नं0 10</u>

उत्तर	:	खसरा नं0–122
दक्षिण	:	खसरा नं0–122
पूरब	:	खसरा नं0– 122
पश्चिम	:	खसरा नं0–9

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
हरिनारायन पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम देयामऊ परगना बिजनौर.	:	अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 रजिस्टर्ड आफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तहसील व जिला लखनऊ।	दिल्ली–110001, वर्तमान पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

25000

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

520951

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- नौकरी / व्यापार

यह विक्रय विलेख हरिनारायन पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम देवापुर परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवं अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 रजिस्टर्ड आफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, वर्तमान पता तृतीय तल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग,

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री शशिकान्त प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि भूमि खसरा संख्या 74 रकबा 0.251 हेक्टेयर का पूर्ण भाग, खसरा संख्या 4 रकबा 0.367 हे0, खसरा संख्या 10 रकबा

15000 रू. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रू.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs. 15000 Rs. 15000

TRY. KO.

कोषागार ...

... दिस. 2007

TRY. KO.

भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता के नाम यह आराजी इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकार भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की भूमि

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

-[illegible]-

0.025 हे0 कुल रकबा 0.392 हे0 का 1/6 भाग अर्थात रकबा 0.0653 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.3183 हे0 स्थित ग्राम बेहटा परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खतौनी खाता संख्या 00360 व 00058 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय से पूर्व कहीं रहन, बिक्री, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

176483

विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यालय के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेता को उक्त विक्रय सम्पादन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0

Jamal [illegible] Ltd

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्टाम्प विक्रेता के हस्ते
D 177548
12 DEC 2007
स. कोष अ./कोषाधिकारी
ग्रामीण कोषागार लखनऊ

29,62,540/— के प्रतिफल में जिसका एडजस्टमेन्ट क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बनाई बेच दिया है, एवं

Anand Pr...

Auth. S...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नही है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73277

कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे । विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई दावा कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे व अधिकार या स्वत्व से निकल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9 173279

जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 173279

-17-

विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 173280

किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] [illegible] क्षेत्र के सामान्य [illegible] के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 12,50,000/- प्रति हैक्टेयर है चूंकि भूमि का विक्रय कम्पनी के पक्ष में हो रहा है इसलिए 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए रू0

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16,25,000/- के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3163 हेक्टेयर की मालियत रु0 5,13,987/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 2,38,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की [illegible]

Awal P[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

आवासीय गतिविधिया नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है तथा 200 मी० के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। इस

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है ।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 23,82,846/- द्वारा चैक संख्या-504013 दिनांकित 13.12.2007 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 23,82,846/- (रूपये तेईस लाख बयासी हजार आठ सौ छियालिस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 24.12.2007
गवाह :
1. विक्रेता की पहचान की

विक्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

क्रेता

टाईपकर्ता:-
(सोनू कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:-
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

ग्राम का नक्शा

तहसील व जिला - लखनऊ

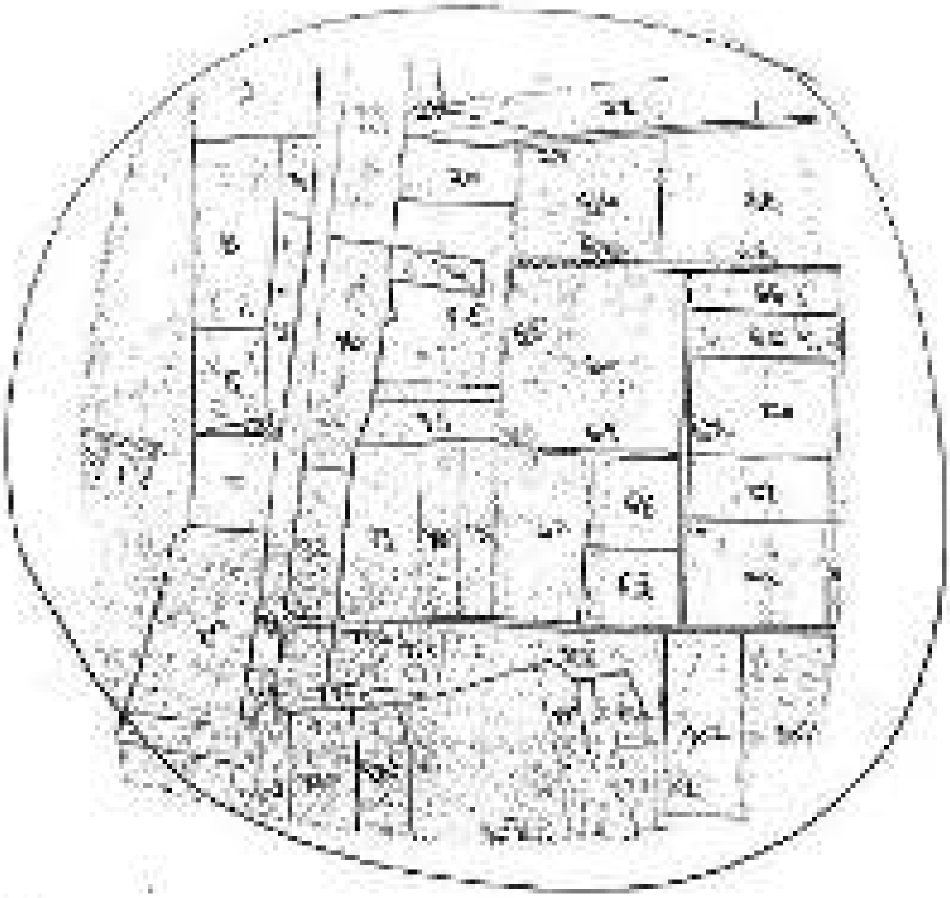

विक्रेता

क्रेता

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 की धारा - 32 ए के अनुपालन हेतु, फिंगर प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता : [illegible]

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

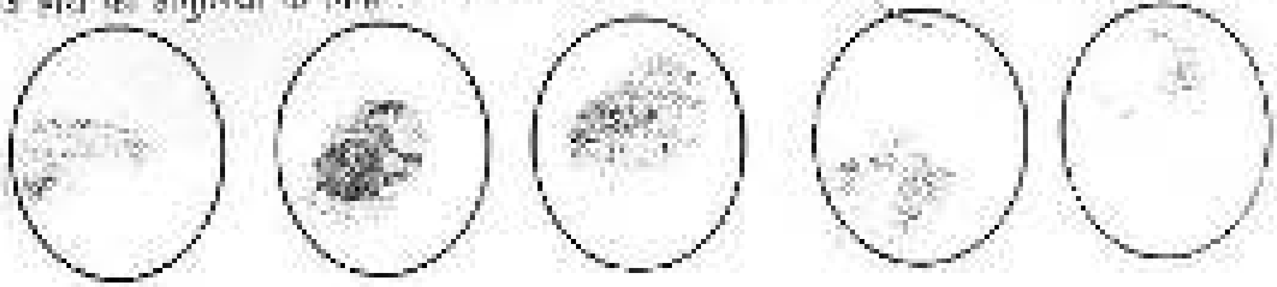

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

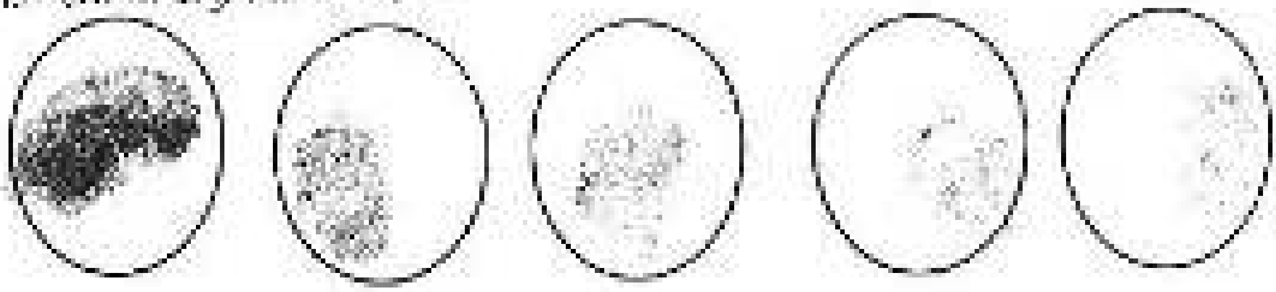

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/ओं के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

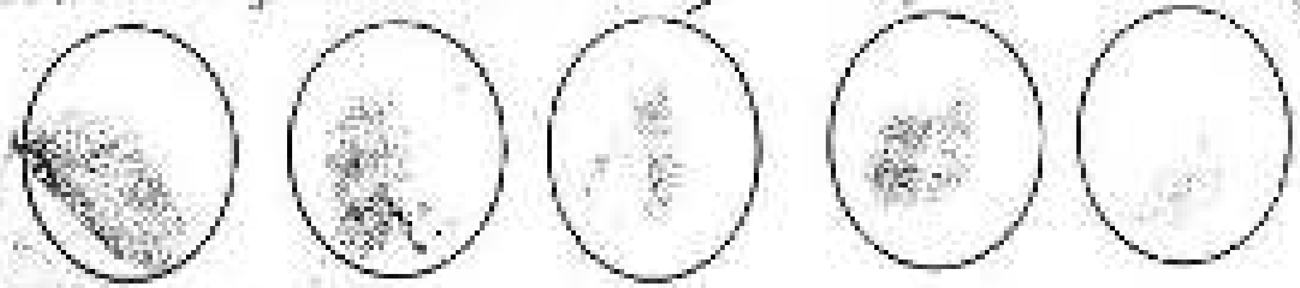

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

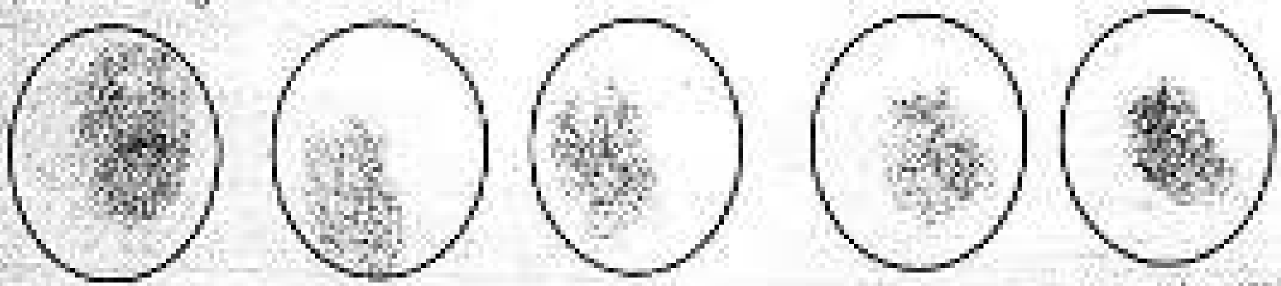

[illegible]

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक [illegible] को [illegible]

पुस्तक संख्या [illegible]

पृष्ठ [illegible]

रजिस्ट्री [illegible]

[illegible] (प्रथम)